



न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, बक्सर

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u> वाद सं०-237/2014 विविध जगनारायण सिंह बनाम सरकार</p>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी तारीख सहित
22-05-2018	<p>प्रस्तुत वाद चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत जगनारायण सिंह पिता-स्व० चन्द्रमा सिंह, सा०-बघेलवा, थाना-बक्सर (मु०), जिला-बक्सर द्वारा दाखिल किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।</p> <p>अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 07-10-2014 को यह वाद दाखिल किया गया। अपीलार्थी के द्वारा वाद दाखिल करने के बाद से चार तिथियों को उपस्थित हैं, इसके बाद लगातार ही अनुपस्थित है। दिनांक 30-01-2015 से दिनांक 22-05-2018 तक कुल 17 तिथियों से लगातार अनुपस्थित हैं। दिनांक 03-04-2018 को चेतावनी देते हुए न्यायालय में उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया गया था। साथ ही यह भी अंकित किया गया था कि यदि आप अगली तिथि को अनुपस्थित रहते हैं तो यह माना जायेगा कि इस वाद में आपको कोई अभिरुचि नहीं है एवं वाद की कार्रवाई को खारिज कर दी जायेगी। फिर भी अगली तिथि को भी अनुपस्थित रहे।</p> <p>उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण वाद को संचालित रखने से न्यायालय का बहुमूल्य समय भी व्यर्थ हो रहा है।</p> <p>अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं शुद्धित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  जिला दण्डाधिकारी, बक्सर। </div> <div style="text-align: center;">  जिला दण्डाधिकारी, बक्सर। </div> </div>	